न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 79/2016 (2016/00169)

अपीलार्थीपक्ष

1. रूपकंवर पत्नी सांगसिंह
2. मीरा कंवर पुत्री सांगसिंह

जतियान राजपूत, निवासी– गांव भूंगरा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीपक्ष

1. भेरूसिंह पुत्र देवीसिंह
2. खेतसिंह पुत्र देवीसिंह
3. मदनकंवर पत्नी स्व0 रतनसिंह
4. सन्तोष कंवर पुत्री स्व0 रतनसिंह
5. सुमेरसिंह पुत्र देवीसिंह
6. भंवरसिंह पुत्र लखसिंह
7. प्रेमकंवर पत्नी स्व0 लखसिंह
8. गोम कंवर पुत्री स्व0 आईदानसिंह
9. हवा कंवर पुत्री स्व0 आईदानसिंह

सभी जाति राजपूत, निवासीगण– गांव भुंगरा, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

10. तहसीलदार शेरगढ़, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 821 ग्राम भूंगरा तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर जो दिनांक 24.09.2005 को तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध।

– – –

उपस्थिति :–

1. श्री शंकर सिंह गहलोत अधिवक्ता (अपीलार्थिनीपक्ष)।
2. श्री गुलाबसिंह चम्पावत अधिवक्ता (प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 09)।

–: **आदेष** :– दिनांक :–19.04.2022

अपीलार्थिनीपक्ष की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 821 ग्राम भूंगरा तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर जो तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा दिनांक 24.09.2005 को स्वीकृत किया गया, को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत हुई। अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काष्ताकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्तुत वाद का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.7.2005

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:19:33 IST
Reason: SelfAttested

को किया गया। न्यायालय के आदेष की पालना में उक्त नामान्तकरण संख्या 821 दिनांक 26.9.2005 को तहसीलदार शेरगढ द्वारा स्वीकृत किया गया जिससे व्यथित होकर अपील मीमो मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश हुई।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख तहसीलदार शेरगढ़ से तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री गुलाबसिंह चम्पावत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। मूल अभिलेख प्राप्त होने पर प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश होने के पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 05.04.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

अपीलार्थिनीपक्ष के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलार्थिनी द्वारा पटवारी से सम्पर्क कर उक्त म्यूटेशन की सत्य प्रतिलिपि दिनांक 12.11.2016 को प्राप्त की तब उक्त म्यूटेशन की अपीलार्थिनी को प्रथम बार जानकारी हुई। अतः जानकारी तिथि से अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार की जावें।

अपीलार्थीया के विद्वान अभिभाषक श्री शंकरसिंह गहलोत ने अपनी बहस शुरु करते हुए अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी शेरगढ ने दिनांक 26.7.2005 को एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गयी। तहसीलदार शेरगढ़ ने न्यायलय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के निर्णय व डिक्री के आधार पर उक्त म्यूटेषन दिनांक 26.9.2005 को स्वीकृत किया गया। उन्होंने यह भी कथन किया कि उक्त अपील को सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है। उन्होंने अपनी बहस में यह भी अवगत कराया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के निर्णय व डिक्री के विरुद्ध एक अपील राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने अपील/डिक्री/जोधपुर/087/2005 दिनांक 22.8.2006 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.7.2005 को निरस्त कर प्रकरण पुनः रिमाण्ड कर विवादग्रस्त भूमि बाबत मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने जाने का आदेष दिया है। अपीलार्थीया के अभिभाषक ने बतलाया कि राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के निर्णय अनुसार जो नामान्तरकरण पारित किया गया है वह स्वतः ही निरस्त हो जाता है अतः अपील अपीलान्ट अपीलार्थीया की स्वीकार की जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के विद्वान अभिभाषक श्री गुलाबसिंह चंपावत ने अपनी बहस शुरु करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील को सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 821 दिनांक 26.9.2005 को तहसीलदार शेरगढ द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के निर्णय व डिक्री की पालना में स्वीकार किया गया है। जो नामान्तरकरण न्यायालय के निर्णय व डिक्री के आदेष की पालना में स्वीकृत किया जाता है तो उसकी अपील को सुनने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:19:33 IST
Reason: SelfAttested

है। उन्होंने इस बाबत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1994 पृष्ठ संख्या 486 चन्दा बनाम रामावत में हुए निर्णय की ओर दिलाया गया जिसके अनुसार न्यायालय के डिक्री व आदेष की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण की अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर को नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट की खारिज की जावे ।

हमने पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट्स को तब हुई जब पटवारी से सम्पर्क कर उक्त नामान्तरकरण की सत्य प्रतिलिपी दिनांक 12.11.2016 को प्राप्त की। इसके जवाब में अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बतलाया कि अपीलान्ट्स ने अपीलाधीन नामान्तरकरण के सम्बन्ध में प्रथम ज्ञान दिनांक 12.11.2016 को बताया जो सरासर गलत है क्योकि उक्त विवादित भूमि के संबंध में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय व राजस्व न्यायालय से आदेश पारित हो चुके है तथा दोनों न्यायालयों में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पक्षकार थे। प्रार्थीगण ने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या – तीन जोधपुर में दावा पेश किया। जिसका निर्णय दिनांक 19.02.2009 में किया गया उसमें भी उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण का उल्लेख किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को उक्त विवादित म्यूटेशन की जानकारी दिनांक 19.02.2009 से थी। प्रार्थीनी/अपीलान्ट को नामान्तरणकरण की प्रारम्भ से जानकारी होने के कारण एवं गलत कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश करने के कारण म्याद को कन्डोन करवाने की अधिकारणी नही हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 19.04.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:19:33 IST
Reason: SelfAttested